हरियाणा विधान सभा

सातवां सत्र (अगस्त सत्र 2026)

तारांकित प्रश्न

31 अगस्त 2026

कुल प्रश्न 20

महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा करना

***21 श्री भगवान दास (नीलोखेडी)ः**

क्या उच्चतर शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2015 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2015 में गुरु तेग बहादुर महिला महाविद्यालय, तरावड़ी, जिला करनाल का निर्माण कार्य वर्ष 2015 में शुरू किया गया था;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि उक्त महाविद्यालय के निर्माण कार्य का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य पिछले लगभग आठ वर्षों से लंबित है; तथा

(ग) यदि हाँ, तो शेष कार्य के पूरा होने में हो रही देरी के कारण क्या हैं तथा उक्त महाविद्यालय के शेष निर्माण कार्य के कब तक पुनः आरम्भ तथा पूरा किए जाने की संभावना है?

खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू तथा पूरा करना

***22 श्री हरिन्द्र सिंह (होडल)ः**

क्या खेल राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि ः-

क) क्या यह तथ्य है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत होडल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के औरंगाबाद, बंचारी, भिडूकी, तथा मीरपुर कोराली गांवों में खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है;

ख) क्या उपरोक्त सभी खेल स्टेडियमों की प्रशासनिक स्वीकृति तथा निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी ; यदि हां ,तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ;

ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है तथा उपरोक्त सभी खेल स्टेडियमों की प्रशासनिक स्वीकृति तथा निविदा प्रक्रिया के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ; तथा

घ) उपरोक्त खेल स्टेडियमों का निर्माण कार्य कब तक शुरू तथा पूरा किए जाने की संभावना है?

किसानों के लंबित मुआवजे का ब्यौरा

*23 **श्री उमेद सिंह (बाढड़ा):**

क्या राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) क्या यह तथ्य है कि बाढ़ड़ा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में वर्ष 2023 के दौरान क्षतिग्रस्त हुई फसलों का मुआवजा किसानों को सरकार द्वारा अब तक वितरित नहीं किया गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; तथा

(ख) क्या उपरोक्त मुआवजे के भुगतान में देरी के लिए सरकार द्वारा किसी की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

बिजली के लोहे के खंभों को बदलना

*24 **सरदार मनदीप चट्ठा (पेहोवा):**

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएगे कि: -

क) क्या पेहोवा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गुलदेहरा तथा ठसका मीरांजी गांवों में मौजूदा बिजली के लोहे के खंभों को कंक्रीट के खंभों से बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिसके कारण जनहानि हो रही है; तथा

ख) यदि हाँ, तो मौजूदा बिजली के लोहे के खंभों को कंक्रीट के खंभों से कब तक बदलने की संभावना है?

नहरों में छोड़े गए पानी का ब्यौरा

*25 **श्री रणधीर पनिहार (नलवा):**

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) दिनों की संख्या का नहर-वार तथा माह-वार ब्यौरा क्या है जिसके दौरान आदमपुर तथा नलवा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रों में पड़ने वाली प्रत्येक नहर में पूरी क्षमता के साथ गत् दो वर्षों के दौरान पानी की आपूर्ति की गई थी;

(ख) उन नहरों का ब्यौरा क्या है जिनमें उपरोक्त अवधि के दौरान निर्धारित अवधि से कम के लिए पानी की आपूर्ति की गई थी तथा उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या आदमपुर तथा नलवा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रों की नहरों में सिंचाई के लिए दो सप्ताह की अवधि तक नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; तथा

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

अस्पताल के निर्माण कार्य को पूरा करना

*26 **श्री योगीन्द्र सिंह राणा (असंध):**

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि:—

(क) क्या यह तथ्य है कि असंध विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 100-बैड वाले नागरिक अस्पताल का निर्माण कार्य 08.08.2025 को शुरू किया गया था, परन्तु इसकी प्रगति निर्धारित समय सारणी के अनुसार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अस्पताल के निर्माण कार्य में देरी के कारण क्या हैं तथा उक्त अस्पताल के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; तथा

(ग) उपरोक्त अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

एक राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय खोलना

*27 **श्री अनिल यादव (कोसली):**

क्या उच्चतर शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे किः—

क) क्या यह तथ्य है कि कोसली विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में कोई भी राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय नहीं है;

ख) क्या कोसली विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त बहुतकनीकी महाविद्यालय के कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान (पी.जी.आई.) एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का उप-केंद्र (सैटेलाइट सेंटर) खोलना

*28 **श्री देवेंन्द्र कादियान (गन्नौर):**

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे किः—

(क) क्या गन्नौर में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान (पी.जी.आई.) एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का उप-केंद्र (सैटेलाइट सेंटर) खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

लम्पी रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण

*29 **श्री अदित्य देवीलाल (डबवाली):**

क्या पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कृपया बताएंगे किः—

(क) राज्य में पशुधन में लम्पी रोग के फैलाव का जिलावार ब्यौरा क्या है तथा प्रभावित पशुओं की संख्या कितनी है तथा राज्य में पशुधन मालिकों को हुए अनुमानित नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; तथा

(ग) क्या राज्य के सभी जिलों में सरकार द्वारा उपरोक्त रोग के टीकाकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा उसका जिलावार ब्यौरा क्या है?

नए खेल अवसंरचना का निर्माण करना

*30 **श्री घनश्याम दास (यमुनानगर):**

क्या खेल राज्य मंत्री कृपया बताएंगे किः-

क) क्या यमुनानगर के तेजली स्टेडियम के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 27282 के अनुपालना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से प्रस्तावित कार्य की विस्तृत अनुमानित लागत प्राप्त हुई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

ख) यदि नहीं ,तो उसके कारण क्या हैं;

ग) क्या उपरोक्त कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

घ) यदि नहीं, तो इसमें देरी के कारण क्या हैं; तथा

ङ) उपरोक्त घोषणा के अनुपालना में विभाग द्वारा निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित नए खेल अवसंरचनों का ब्यौरा क्या है?

खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा करना

*31 **श्री देवेन्द्र हंस (गुहला):**

क्या खेल राज्य मंत्री कृपया बताएंगे किः-

क) क्या यह तथ्य है कि चीका में खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य काफी लम्बे समय से प्रगति में है परंतु अब तक पूरा नहीं हुआ है;

ख) यदि हां, तो इसके निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उपरोक्त स्टेडियम के पूरा होने में देरी के कारण क्या हैं; तथा

ग) उपरोक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा इसके कब तक सक्रिय किए जाने की संभावना है तथा इसके निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

पेयजल आपूर्ति तथा अपशिष्ट जल के निपटान कार्य पूरा करना

*32 **श्रीमती कृष्णा गहलावत (राई):**

क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कृपया बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 29107, दिनांक 14.11.2025 के तहत सोनीपत जिले के राई विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के बहालगढ़ गांव में पेयजल आपूर्ति तथा अपशिष्ट जल के निपटान से संबंधित कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क का निर्माण कार्य पूरा करना

*33 **चौ. अकरम खान (जगाधरी):**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे किः—

(क) क्या यह तथ्य है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) ने वर्ष 2011-12 में नांगलड्रेन (पट्टी) से गांव अंबवाली, खण्ड प्रताप नगर तक सड़क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्य के निष्पादन में अत्यधिक देरी के क्या कारण हैं; तथा

(ग) उपरोक्त परियोजना को पुनः शुरू करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पेयजल पाइप लाइनों को बदलना

*34 **श्रीमती सावित्री जिन्दल (हिसार):**

क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कपृया बताएगे किः -

क) क्या यह तथ्य है कि हिसार शहर में पेयजल वितरण पाइप लाइनें पुरानी तथा जर्जर हो गई हैं, परिणामस्वरूप बार-

बार पाइप फटना, पानी का रिसाव, पानी का कम दवाब तथा गंदे पीने के पानी की आपूर्ति हो रही है;

ख) क्या यह भी तथ्य है कि उपरोक्त पेयजल वितरण पाइप लाइनों को बदलने के लिए 151 करोड़ रुपये की परियोजना सरकार के विचाराधीन है; तथा

ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृतियां कब तक दिए जाने की संभावना है?

चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों तथा अन्य अमलें के रिक्त पदों को भरना

*35 **श्री कुलदीप वत्स (बादली):**

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि बादली विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र तथा नागरिक अस्पताल, झज्जर के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों तथा अन्य कर्मचारियों के विभिन्न पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं;

ख) यदि हां, तो उपरोक्त स्वास्थ्य संस्थानों में संस्था-वार तथा श्रेणी-वार स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

ग) क्या उपरोक्त किसी भी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाईयों, नैदानिक सुविधाओं, एम्बुलेंस तथा चिकित्सा उपकरण की कमी है; यदि हाँ, तो उसका संस्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; तथा

(घ) इन रिक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है तथा उपरोक्त स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाईयों, उपकरण तथा अन्य सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

निम्न गुणवत्ता कार्य के विरुद्ध कार्रवाई

*36 **चौ. मामन खान (फिरोजपुर झिरका):**

क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कृपया बताएंगे कि:—

(क) क्या यह तथ्य है कि नई दिल्ली में स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की एक समिति द्वारा किए गए गैर-विनाशकारी परीक्षण (एन.डी.टी.) में फिरोजपुर झिरका शहर में संचालित 5 एम.एल.डी. एस.टी.पी. की हाइड्रोलिक संरचनाएं निम्न गुणवत्ता कार्य के कारण विफल पाई गई थी तथा राज्य के राजकोष को 331.15 लाख रुपये की अनावश्यक वित्तीय नुकसान/व्यय हुआ;

(ख) क्या उपरोक्त निम्न गुणवत्ता कार्य के निष्पादन के लिए जिम्मेवार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई विशेष प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है;

(ग) मुख्य अभियंता (शहरी)-सह- जाँच अधिकारी, पी.एच.ई.डी., हरियाणा, पंचकूला द्वारा 2018 की जाँच संख्या-ई-03 की स्थित्ति क्या है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है तथा पत्र संख्या 46603-पी.एच.ई.डी./ शहरी दिनांक 21-06-2021 के माध्यम से मुख्य अभियंता को सौंपी गई थी; तथा

(घ) मुख्य अभियंता के अधीक्षक अभियंता, पी.एच.ई.डी., हरियाणा, पंचकूला द्वारा यादि पत्र क्रमांक 10507 दिनांक 20-06-2022 के अनुसार श्री वली मोहम्मद, कनिष्ठ अभियंता (अब उप मण्डल अभियंता) को जारी आरोप-पत्र पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति का ब्यौरा

*37 **श्री शीशपाल केहरवाला (कालांवाली):**

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) राज्य में सरकार द्वारा बिजली की कुल वार्षिक लागत तथा कुल बिजली का उत्पादन तथा खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों तथा शहरी क्षेत्रों की जिला-वार संख्या कितनी है तथा क्या इन सभी गांवों एवं शहरी क्षेत्रों में बिना रुकावट चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है; यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; तथा

(ग) वर्तमान तिथि तक बिजली विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या तथा रिक्त पदों की संख्या कितनी है?

अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना

***38 श्रीमती मन्जु चौधरी (नांगल चौधरी):**

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे किः—

(क) क्या यह तथ्य है कि नांगल चौधरी विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में अनेक अनधिकृत कॉलोनियां हैं; यदि हां, तो ऐसी कॉलोनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त कॉलोनियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई के लिए पर्याप्त तथा नियमित जलापूर्ति करना

***39 श्री राजबीर फरटिया (लोहारू):**

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री कृपया बताएंगे किः—

(क) क्या यह तथ्य है कि सिवानी माइनर (रूपाणा, धूलकोट खेड़ा तथा सिवानी), देवसर फीडर (देवसर, किकरला, ढाणी रामजस, रामजस, ढाणी मिट्ठी, ढाणी किशन लाल तथा सिवानी), नलाई माइनर (नलाई तथा किकरला), नलोई सब-माइनर (गुरेरा तथा किकरला), मोतीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी (झुम्पा कलां, झुम्पा खुर्द, सैनीवास, लीलस, घंगाला, बिधवान, बुद्धशैली तथा मोतीपुरा), मिट्ठी माइनर (मिट्ठी, मोरंका सिवाच, मंढोली खुर्द तथा मंढोली कलां), जुई माइनर (गरवा, सुरपुरा कलां तथा सुरपुरा खुर्द) तथा तलवानी माइनर के अंतर्गत पड़ने वाले गांवों को उक्त नहरों में पानी की कम उपलब्धता के कारण पर्याप्त सिंचाई जल प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त गत् तीन सिंचाई सीजन के दौरान उपरोक्त प्रत्येक माइनर/डिस्ट्रीब्यूटरी/फीडर के अंतर्गत निर्धारित जल आवंटन तथा वास्तविक रूप से जलापूर्ति मात्रा का गांव-वार ब्यौरा क्या है तथा पानी की कमी के कारण क्या हैं; तथा

(ग) उपरोक्त सभी नहरों में पर्याप्त एवं नियमित जलापूर्ति कब तक सुनिश्चित किए जाने की संभावना है?

प्लॉटों /घरों के पंजीकरण पर प्रतिबंध

***40 श्री भारत भूषण बत्तरा (रोहतक):**

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे किः-

क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2008 के दौरान श्री राजेंद्र प्रसाद पुत्र श्री रघवीर सिंह, डेवलपर / बिल्डर द्वारा संजय कॉलोनी के पास न्यू राजेंद्रा नगर कॉलोनी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 .44 एकड़ है, को विकसित किया था तथा जिसे नगर नियोजना योजना के अंतर्गत स्वीकृति भी दी गई थी;

ख) क्या यह भी तथ्य है कि सरकार द्वारा वर्तमान में उपरोक्त कालोनियों में स्थित प्लाटों /मकानों की रजिस्ट्री, विक्रय विलेखों के निष्पादन तथा भवन योजना की स्वीकृति पर रोक लगा दी गई है; यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं तथा

डेवलपर / बिल्डर को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) जारी न करने के कारण क्या हैं; तथा

ग) उपरोक्त डेवलपर/ बिल्डर के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?